

58

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्र.क्र. /2017 निगरानी PBR/गिराणी/नीमच/भू.सं./2017/4644

माननीय श्री क.म.ल.वि.दे. जिला
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ...20.10.2017
अधीनस्थ
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

देवकरण पिता स्वर्गीय कंवरलाल जाति यादव
निवासी यादव मंडी, नीमच सिटी, नीमच
— आवेदक

विरुद्ध

1. शांतिलाल पिता कंवरलाल यादव, आयु 50 वर्ष, धंधा खेती, निवासी नीमच हा.मु. 545, अभिनंदन कालोनी विस्तार-1, मंदसौर
2. राजकुमार पति स्व. फकीरचन्द कदम, आयु 58 वर्ष, धंधा गृहकार्य, निवासी 545, अभिनंदन कालोनी विस्तार-1, मंदसौर
3. जयश्री कौशल पिता स्व. फकीरचन्द कदम आयु 40 वर्ष, निवासी हिम्मतनगर (गुजरात)
4. जितेन्द्र पिता स्व. फकीरचन्द कदम, निवासी ओ एफ डी देहरादुन
5. धीरेन्द्र पिता स्व. फकीरचन्द कदम निवासी अभिनंदन कालोनी विस्तार-1 मंदसौर म.प्र.
6. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय, नीमच

— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील नीमच के द्वारा प्र.क्र. 67/अ-27/2015-16 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 31-07-2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न आधारों पर निगरानी आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

संक्षिप्त में प्रकरण यह है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील नीमच के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 178 म.प्र.भू.रा.सं. का प्रस्तुत कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भूरा/17/4644

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील नीमच द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31-7-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक को प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी उन्होंने प्रतिपरीक्षण नहीं किया । इसके बाद ही उनका प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>